(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-28/2000-यू 3 (पार्ट 1)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01

दिनांक: 13 फरवरी, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 07.05.2002 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली - जिसके लखनउ, इलाहबाद, जयपुर, श्रीनगर, त्रिचूर, पुरी, जम्मू और गारिल (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में स्थित आठ बहु-परिसर हैं- को "सम विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किया था, जो पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन था।

3. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 01.01.2009 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान', नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों अर्थात 06.05.2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 30.06.2009 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को भोपाल और मुम्बई परिसर को घटक शिक्षण इकाईयों के रूप में अपने क्षेत्राधिकार के तहत लाने की अनुमति प्रदान की थी।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से दिनांक 28-30 जनवरी, 2017 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के कार्यों की समीक्षा की थी। आयोग ने 22, फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 521वीं बैठक (मद सं 2.03) में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प पारित किया थाया :

"विचार किया और इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि इंगित की गई सारी कमियों को, यदि कोई हो, तो उसमें सुधार किया जाएगा और विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों को 6 महीने के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्ताव की जाएगी"।

6. और जबकि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर आयोग ने 10 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी 537वीं बैठक (मद सं 2.04) में पुन: विचार किया था और दिनांक 07.05.2012 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के समविश्वविद्यालय दर्जे को आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श से, एतदद्वारा इस शर्त के साथ दिनांक 07.05.2012 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को आगे बढ़ाती है कि सम विश्वविद्यालय संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों का पालन करेगी। इस दर्जे को इस शर्त के साथ आगे बढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में निर्धारित सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करता रहेगा।

ईशिता राय

(ईशिता राय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन: 011-23381721

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
3. कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56-57, इंस्टिट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
4. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
5. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
6. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक को इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के आवश्यक अनुदेश दें।
7. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)
उप सचिव, भारत सरकार